

**आ दे श**

में तन्वी हुड्डा (भा.प्र.से.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ पूर्व में जारी किए गए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्थापना/2023/292-93 दिनांक 10.01.2023 एवं आदेश क्रमांक 1381-82 दिनांक 20.02.2023 द्वारा कार्य विभाजन आदेशों को अधिक्रमित करते हुए झाबुआ जिले में स्थानान्तरित कार्यरत विज्ञप्त सहायकों/भा.प्र.से. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

1 श्री अमन वैष्णव, आय.ए.एस. अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, (विकास) झाबुआ	<p><b>समय-सीमा के महत्वपूर्ण कार्य :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की हैसियत से निर्धारित दायित्वों का निर्वहन</li><li>2- वृक्षारोपण/हरियाली</li><li>3-गोकुल ग्राम योजना</li><li>4- प्रवासी मजदूर</li><li>5-आत्मनिर्भर भारत अभियान</li><li>6-कौशल विकास</li><li>7- आरसेटी</li><li>8-सीएममॉनिट/सीएम हेल्पलाइन/सीएस मॉनिट/समयावधि पत्रों/जनसुनवाई</li><li>9- राष्ट्रपति भवन/पीएमओ/पीजी</li><li>10- माननीय मंत्रीगणों/प्रभारी मंत्री/ सांसद/ विधायक/ जनप्रतिनिधियों की ओर से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण</li><li>11- विकास से संबंधित समस्त विभागों के कार्यों की मासिक बैठक,पर्यवेक्षण समीक्षा एवं क्रियान्वयन</li><li>12- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/भू-जल संवर्धन मिशन</li><li>13- परख कार्यक्रम(मूलभूत सुविधा) का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं इसके माध्यम से शिकायतों/समस्याओं का त्वरित निराकरण</li><li>14- राहत/बीस सूत्रीय कार्यक्रम/पेयजल की स्थिति/पेयजल परिवहन</li><li>15- त्रि-स्तरीय ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था का सुचारु संचालन</li><li>16- अधोसंरचनात्मक योजनाओं के प्रभारी क्रियान्वयन एवं अधोसंरचना विकास हेतु कार्यों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करना</li><li>17- मध्यान्ह भोजन/पोषण आहार</li><li>18- स्वरोजगार संबंधी योजनाएँ/स्व सहायता समूह</li><li>19- पशु नस्ल सुधार अभियान,गौषाला विकास,दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना, गोबर गौमूत्र का सदुपयोग</li><li>20- पी.एच.ई.से संबंधित कार्य समग्र स्वच्छता अभियान, सतही एवं भू जल संग्रहण एवं संवर्धन मिशन मोड में कार्य</li><li>21- मत्स्य विभाग</li><li>22- सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु कार्यवाही</li><li>23- विद्युत वितरण कंपनी</li><li>24- फसल बीमा</li><li>25- अन्त्योदय समितियाँ</li><li>26- उर्जा</li></ol>
--	--

- 27- हाथकरघा
- 28- ग्रामोद्योग
- 29- 100 दिवसीय कार्य योजनाओं का विभागवार क्रियान्वयन
- 30- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
- 31- मनरेगा योजना
- 32- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा नोडल अधिकारी
- 33- सूचना प्रौद्योगिकी
- 34- ई-गवर्नेंस
- 35- लोक सेवा ग्यारंटी
- 36- सामाजिक न्याय
- 37- आयुश
- 38- समग्र स्वच्छता अभियान
- 39- अन्त्योदय मेले/लोक कल्याण शिविर/सामाजिक न्याय विभाग के समस्त शिविर
- 40- मुख्यमंत्री की घोषणाएँ
- 41- स्वास्थ्य विभाग
- 42- आदिम जाति कल्याण विभाग
- 43- उद्योग विभाग
- 44- महिला बाल विकास विभाग
- 45- जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ/जिला शिक्षा अधि./राष्ट्रीय मा. शिक्षा अभियान
- 46- पशु चिकित्सा विभाग
- 47- साक्षर भारत (प्रौढ शिक्षा)
- 48- म.प्र.पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के प्रकरणों का निराकरण
- 49- योजना मण्डल
- 50- उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग झाबुआ
- 51- माननीय प्रभारी मंत्रीजी की बैठक
- 52- राज्य/सम्भागीय/जिला स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त समीक्षा बैठकों की जानकारी/फोल्डर/पीपीटी तैयार करने की समस्त जवाबदारी ।
- 53- दिशा समिति की बैठक
- 54- सौंपे गए विभाग से संबंधित समस्त कोर्ट केस
- 55- कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य

श्री एस.एस.मुजाल्दा  
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला  
दण्डाधिकारी झाबुआ

**दाण्डिक :-**

- 1-अपर जिला दण्डाधिकारी-जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति समिति की बैठक आयोजित करना।
- 2-म.प्र.पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही।
- 3-म.प्र.दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51(ब) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
- 4-जिला होमगार्ड/नगर सुरक्षा से संबंधित कार्य (जिला दण्डाधिकारी के अनुमोदन से)

**राजस्व न्यायालयीन :-**

- 1-म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धाराओं के तहत प्रत्येक 10 प्रकरणों में पहला प्रकरण छोड़कर।
- 2-पंचायत राज अधिनियम एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के तहत समस्त मूल एवं अपीलीय अधिकार प्रत्येक 10 प्रकरणों में पहला प्रकरण छोड़कर।
- 3-विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी
- 4-(अ) आर.बी.सी.6-(4) के तहत राहत राशि स्वीकृति के अधिकार  
(ब) आर.बी.सी. 6-(4) ऋण अनुदान की स्वीकृति के प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत किये जावेंगे। (आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में अन्तरण कर निराकरण कर सकेंगे)
- 5-स्थायी पट्टों के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन, अपालन के मामले के निराकरण के लिए राजस्व विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्राधिकृत अधिकारी।

**विविध:-**

- कलेक्टर की हैसियत से निम्न शाखाओं का कार्य संपादित करेंगे :-
- नीतिगत एवं महत्वपूर्ण निर्णय कलेक्टर द्वारा लिए जाएंगे।
- 1- प्रोटोकॉल ड्यूटी
  - 2- रेडक्रास
  - 3- विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों के किराया निर्धारण।
  - 4- उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र।
  - 5- विस्फोटक पदार्थों का नवीनीकरण/शस्त्र नामांतरण
  - 6- वित्त शाखा (रूपये 1,00,000/- (एक लाख तक)
  - 7- स्थापना शाखा:- तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले का निराकरण।
  - 8- नजारत शाखा
  - 9- भारतीय नागरिकता पासपोर्ट एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित कार्य
  - 10- औद्योगिक क्षेत्र संधारण/विकास के मामले।
  - 11- विशेष अधिकारी-अनु.जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम।
  - 12-लायसेंस परमिट शाखा।
  - 13-शहरी विकास अभिकरण।
  - 14-अंत्याव्यवसायी सहकारी विकास समिति।



- 15- भू-अभिलेख एवं भू-प्रबंधन
- 16- जिला सत्कार अधिकारी
- 17- लायसेंस परमिट
- 18- गैल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त भू-अर्जन प्रस्तावों के निराकरण हेतु पदेन भू-अर्जन अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी
- 19- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
- 20- मानव अधिकारी आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला बाल विकास आयोग
- 21- नोडल अधिकारी पी.सी.एण्ड, पी.एन.डी.टी
- 22- खनिज शाखा
- 23- अल्पसंख्यक कल्याण शाखा
- 24- आयुक्त महोदय के भ्रमण निरीक्षण टीप पालन प्रतिवेदन
- 25- विभागीय जॉच अधिकारी
- 26- राजस्व अभिलेखागार
- 27- सामान्य अभिलेखागार
- 28- 20 सूत्रीय शाखा
- 29- संस्थागत वित्त (अल्पबचत)
- 30- शिकायत/समाधान
- 31- रेवेन्यु मोहररि
- 32- राजस्व लेखा
- 33- सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व
- 34- जे.सी.
- 35- राहत
- 36- एफ.पी.डी.
- 37- प्रतिलिपि शाखा
- 38- भू-अर्जन शाखा
- 39- समय-समय पर कलेक्टर द्वारा दिये गये कार्य

**नोट:-**

(अ) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम ऋण तथा पार्ट फायनल, वार्षिक वेतन वृद्धि क्रमोन्नति भू-खण्ड/मकान खरीदने की अनुमति (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालन अधिकारियों को छोड़कर)

(ब) जिला कार्यालय समस्त अनुविभागीय कार्यालयों के जल प्रदाय/विद्युत देयको की स्वीकृतियाँ ।

स) जिला कार्यालय/अनुविभागीय कार्यालयों के दूरभाष देयकों की स्वीकृतियाँ (निर्धारित सीमा से अधिक के देयक प्राप्त होने पर उन्हें कलेक्टर की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।

द) जिला कार्यालय अधीनस्थ अनुविभागीय कार्यालयों के वाहनो के पी.ओ.एल. देयको की स्वीकृतियाँ ।

(ई) वित्तीय अधिकार-त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी, कार्यालय व्यय के अंतर्गत कलेक्टर के सम्पूर्ण अधिकार

श्री अनिल कुमार राठौर, सहायक  
कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.) / दण्डाधिकारी पेटलावद

### क्रिमिनल

- 1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार
- 2-कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत
- 3-25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण

### राजस्व

- 1-म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अंतर्गत तहसील पेटलावद में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन
- 2-विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
- 3-विस्फोटक पदार्थों का नवीनीकरण एवं विस्फोटक सामग्री का निर्धारित लायसेंसों के अनुशंसा में भण्डारण उपयोग निरीक्षण एवं अन्य विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक कार्यवाही-इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी
- 4- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
- 5-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार
- 6-वक्फ सम्पत्ति का कार्य
- 7-भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद के समस्त प्रकरण

### विविध

- 1-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा
- 2-नगरपंचायत/नगरपालिका पेटलावद की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा
- 3- प्रभार क्षेत्र में-सांसद मद/विधायक निधि के कार्यों /सी.एम. हेल्प लाईन/पेयजल की स्थिति/ मध्याह्न भोजन /स्वरोजगार संबंधी योजनाएं/स्व सहायता समूह/पी.एच.ई. से संबंधित कार्य स्वच्छता अभियान,सतही एवं भू-जल संग्रहण एवं संवर्धन मिशन केकार्य/वृक्षारोपण/हरियाली/फसल बीमा/ ग्रामोद्योग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा योजना/मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना /ई-गवर्नेंस/लोक सेवा ग्यारंटी/सामाजिक न्याय/समग्र स्वच्छता अभियान/अन्त्योदय मेला/ मुख्यमंत्री की घोषणाएँ/स्वास्थ्य विभाग/महिला बाल विकास विभाग/जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ/पशु चिकित्सा विभाग/सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन, कार्यों की समीक्षा एवं समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य।
- 5- म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब)के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग
- 6-म.प्र.लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी
- 7-म.प्र.स्थान अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत
- 8-जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना।
- 9-नजूल अधिकारी
- 10-अनुभाग में वाहन अधिग्रहण अधिकारी/अनुभाग में सत्कार अधिकारी
- 11-प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत अनुविभाग से संबंधित कार्यवाही।



	<p>12-सीलिंग एक्ट के तहत अनुभाग में सक्षम अधिकारी।  13-म.प्र.कोषालय संहिता 125 के अंतर्गत तहसील में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि समस्त आहरण एवं संवितरण के अधिकार।  14-समय-समय पर सौंपे गये कार्य।</p>
<p>4 श्री सुनील कुमार झा,संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/  दण्डाधिकारी झाबुआ</p>	<p><b>क्रिमिनल</b>  1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार  2-कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत  3-25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण</p> <p><b>राजस्व</b>  1-म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अंतर्गत तहसील झाबुआ में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन।  2-विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।  3-विस्फोटक पदार्थों का नवीनीकरण एवं विस्फोटक सामग्री का निर्धारित लायसेंसों के अनुशंसा में भण्डारण उपयोग निरीक्षण एवं अन्य विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक कार्यवाही-इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी  4- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।  5-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार  6-वक्फ सम्पत्ति का कार्य  7-भू-अर्जन अधिकारी तहसील झाबुआ/रामा/रानापुर के समस्त प्रकरण</p> <p><b>विविध</b>  1-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा।  2-नगर पंचायत/नगरपालिका झाबुआ की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा  3- प्रभार क्षेत्र में-सांसद मद/विधायक निधि के कार्यों/सी.एम.हेल्प लाईन/पेयजल की स्थिति/ मध्याह्न भोजन /स्वरोजगार संबंधी योजनाएं/स्व सहायता समूह/पी.एच.ई. से संबंधित कार्य स्वच्छता अभियान,सतही एवं भू-जल संग्रहण एवं संवर्धन मिशन के कार्य/वृक्षारोपण/हरियाली/फसलबीमा/ग्रामोद्योग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा योजना/मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना /ई-गवर्नेंस/लोक सेवा ग्यारंटी/सामाजिक न्याय/समग्र स्वच्छता अभियान/अन्त्योदय मेला/ मुख्यमंत्री की घोषणाएँ/स्वास्थ्य विभाग/महिला बाल विकास विभाग/जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ/पशु चिकित्सा विभाग/सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन, कार्यों की समीक्षा एवं समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य।</p>

	<p>4-सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य  5- म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब)के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग  6-म.प्र.लोक परिसर वेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी  7-म.प्र.स्थान अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत  8-जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना ।  9-नजूल अधिकारी  10-अनुभाग में वाहन अधिग्रहण अधिकारी/अनुभाग में सत्कार अधिकारी  11-प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत अनुविभाग से संबंधित कार्यवाही ।  12-सीलिंग एक्ट के तहत अनुभाग में सक्षम अधिकारी ।  13-म.प्र.कोषालय संहिता 125 के अंतर्गत तहसील में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि समस्त आहरण एवं संचितरण के अधिकार ।  14-समय-समय पर सौंपे गये कार्य ।</p>
<p>5 सुश्री अंकिता प्रजापति, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ दण्डाधिकारी मेघनगर</p>	<p><u>क्रिमिनल</u>  1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार  2-कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत  3-25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण  <u>राजस्व</u>  1-म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अंतर्गत तहसील मेघनगर में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन  2-विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  3-विस्फोटक पदार्थों का नवीनीकरण एवं विस्फोटक सामग्री का निर्धारित लायसेंसों के अनुशंसा में भण्डारण उपयोग निरीक्षण एवं अन्य विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक कार्यवाही-इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी  4- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत  5-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार  6-वक्फ सम्पत्ति का कार्य  7-भू-अर्जन अधिकारी तहसील मेघनगर के समस्त प्रकरण  <u>विविध</u>  1- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा</p>



श्री तरुण जैन, डिप्टी कलेक्टर एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
/ दण्डाधिकारी थांदला

### क्रिमिनल

- 1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार
- 2-कानून व्यवस्था संबंधी कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत
- 3-25 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लावारिस संपत्ति का निराकरण राजस्व

1-म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अंतर्गत तहसील थांदला में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का संपादन

2-विभिन्न विधि विधान एवं परिपत्रों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

3-विस्फोटक पदार्थों का नवीनीकरण एवं विस्फोटक सामग्री का निर्धारित लायसेंसों के अनुशंसा में भण्डारण उपयोग निरीक्षण एवं अन्य विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक कार्यवाही-इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी

4- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

5-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार

6-वक्फ सम्पत्ति का कार्य

7-भू-अर्जन अधिकारी तहसील थांदला के समस्त प्रकरण

### विविध

1- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा

2-नगरपंचायत/नगरपालिका थांदला की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा

3-प्रभार क्षेत्र में-सांसद मद/विधायक निधि के कार्यों /सी.एम.हेल्प लाईन/पेयजल की स्थिति/ मध्यान्ह भोजन /स्वरोजगार संबंधी योजनाएं/स्व सहायता समूह/पी.एच.ई. से संबंधित कार्य स्वच्छता अभियान,सतही एवं भू-जल संग्रहण एवं संवर्धन मिशन के कार्य/वृक्षारोपण/हरियाली/फसलबीमा/ग्रामोद्योग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा योजना/मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना/ई-गवर्नेंस/लोक सेवा ग्यारंटी/सामाजिक न्याय/समग्र स्वच्छता अभियान/अन्त्योदय मेला/ मुख्यमंत्री की घोषणाएं/ स्वास्थ्य विभाग/महिला बाल विकास विभाग/जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ/पशु चिकित्सा विभाग/सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन, कार्यों की समीक्षा एवं समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य।

4-सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य एवं नियंत्रण संबंधी कार्य

5- म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-51 (ब)के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग

6-म.प्र.लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी

7-म.प्र.स्थान अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण के अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत

8-जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करना ।

9-नजूल अधिकारी



		<p>10-अनुभाग में वाहन अधिग्रहण अधिकारी/अनुभाग में सत्कार अधिकारी</p> <p>11-प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत अनुविभाग से संबंधित कार्यवाही ।</p> <p>12-सीलिंग एक्ट के तहत अनुभाग में सक्षम अधिकारी ।</p> <p>13-म.प्र.कोषपालय संहिता 76 के अंतर्गत तहसील में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि समस्त आहरण एवं संवितरण के अधिकार ।</p> <p>14-समय-समय पर सौंपे गये कार्य ।</p>
7	श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, झाबुआ	<p><b>निर्वाचन</b></p> <p>उप जिला निर्वाचन अधिकारी-(भारत निर्वाचन/ स्थानीय निर्वाचन)</p> <p>1-स्थापना शाखा</p> <p>2-नजारत शाखा</p> <p>3-रीडर-एक शाखा</p> <p>4-लायसेंस परमिट शाखा</p> <p>5-रोस्टर निरीक्षण</p> <p>6-नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य, योजना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी</p> <p>7-समय-समय पर सौंपे गये कार्य</p>
8	श्री मुकेश सोनी, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, झाबुआ	<p>1-भू-अभिलेख शाखा</p> <p>2-भू-अर्जन</p> <p>3-सीलिंग/नजूल</p> <p>4-जे.सी. शाखा</p> <p>5-नोडल अधिकारी विधानसभा</p> <p>6-लंबित आश्वासन/लंबित कंडिकाओं का निराकरण</p> <p>7-सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व शाखा</p> <p>8-प्रभारी मंत्री जनशिकायत</p> <p>9-लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन</p> <p>10-टी0एल0</p> <p>11-लोक सेवा प्रबंधन/ई-गवर्नेन्स</p> <p>12-नोडल अधिकारी-जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा विभाग</p> <p>13-समय-समय पर सौंपे गये कार्य</p>
9	श्रीमती आशा परमार, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, झाबुआ	<p>1-मुख्य नगर पालिका अधिकारी झाबुआ</p> <p>2-परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण</p> <p>3-जनगणना शाखा</p> <p>4-प्रतिलिपि शाखा</p> <p>5-सी.एम. मॉनिट</p> <p>6-अधोसंरचना</p> <p>7-एन.जी.टी.सी. से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही</p> <p>8-नोडल अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, उपसंचालक पंचायत</p> <p>9-समय-समय पर सौंपे गये कार्य</p>

0 श्री हरिशंकर विश्वकर्मा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, झाबुआ	1-वित्त-2 शाखा 2-जनसुनवाई 3-राजस्व लेखा 4-वरिष्ठ लिपिक एक व दो 5-एफ.पी.डी. 6-रेवेन्यु मोहरीर/आध्यात्म शाखा 7-राहत शाखा 8-स्टेशनरी शाखा 9-मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन 10-अभिलेखागार सामान्य/राजस्व 11-कार्यालय की अनुपयोगी पुरानी सामग्री वाहन आदि अपलेखन की कार्यवाही 12-शिकायत शाखा 13-सी.एम. हेल्पलाईन 14-सी.एम.निवास से प्राप्त शिकायतें 15-लोक सूचना अधिकारी 16-आयोग से प्राप्त शिकायतें 17- आवक-जावक 18-समय-समय पर सौंपे गये कार्य
--	--

**विभिन्न अधिकारियों के अवकाश एवं अन्य कारणों से लिंक व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी।**

1	श्री अमन वैष्णव, आय.ए.एस.अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	श्री एस.एस.मुजाल्दा, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी झाबुआ
2	श्री एस.एस.मुजाल्दा, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी झाबुआ	श्री अमन वैष्णव, आय.ए.एस.अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ
3	श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ	श्री मुकेश सोनी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ
4	श्री मुकेश सोनी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ	श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ
5	श्री हरिशंकर विश्वकर्मा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती आशा परमार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ
6	श्रीमती आशा परमार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ	श्री हरिशंकर विश्वकर्मा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ

उपरोक्त अधिकारियों के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में कार्यालय में उपस्थित अन्य अधिकारी कार्य सम्पादित करेंगे।

**टीप:-**

- 1- लिंक अधिकारी को प्रस्तुत की गई नस्तियां प्रभारी अधिकारी के वापस आने पर उनके समक्ष अनिवार्य रूप से संबंधित सहायक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, ताकि प्रभारी अधिकारी उक्त नस्तियों के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत हो सकें।
- 2- समस्त अधिकारी विधिक प्रावधानों, नियमों तथा शासकीय निर्देशों के अनुरूप परीक्षण पश्चात अपने स्पष्ट अभिमत के साथ नस्तियां प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी नस्ती को बिना अभिमत प्रस्तुत किया गया हो, तो यह माना जायेगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षण कर उसे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।
- 3- निम्नांकित विभागों की नस्तियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी:- सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिक सेवा, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, आयुष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, कृषि, उद्यानिकी विभाग, परियोजना संचालक (आत्मा) उच्च शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी,



सर्व शिक्षा अभियान, डाईट, उत्कृष्ट विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, एल.डी.एम. महिला सशक्तीकरण विभाग, उर्जा एवं अक्षय उर्जा, ई-गवर्नेन्स, लोक सेवा प्रबंधन जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जिला अन्त्यवसायी निगम तथा जन अभियान परिषद, जल संसाधन विभाग।

- 4- निम्नांकित विभागों की नस्तियां अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी—नोडल ऑफिसर गैल, रेलवे, पेट्रोलियम जिला परिवहन अधिकारी, जिला अभियोजन अधिकारी, बीएनपी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड, जेल, नगर तथा ग्राम निवेश औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, लोक निर्माण विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जिला विपणन अधिकारी, एम.पी.एग्रो, भूमि संरक्षण वेयर हाउस, कृषि उपज मण्डी समिति, ड्रग एण्ड फूड, दूरसंचार निगम, नापतौल विभाग, बीमा अस्पताल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहरी विकास अभिकरण तथा हाउसिंग बोर्ड।
- 5- केवल वहीं नस्तियां कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें उनके अनुमोदन अथवा स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

*Shade*  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला झाबुआ  
झाबुआ, दिनांक 11/04/2023

पृष्ठांकन क्रमांक/स्थापना/2023/2393

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र.भोपाल ।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3- सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 4- आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर ।
- 5- जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ ।
- 6- पुलिस अधीक्षक झाबुआ ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ ।
- 8- अपर कलेक्टर झाबुआ ।
- 9- जिला कोषालय अधिकारी झाबुआ ।
- 10- उप जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन) जिला झाबुआ ।
- 11- जिला अधिकारी समस्त..... ।
- 12- प्रभारी अधिकारी वित्त-2 शाखा जिला कार्यालय झाबुआ ।
- 13- अनुविभागीय अधिकारी समस्त..... ।
- 14- प्रभारी अधिकारी समस्त ..... ।
- 15- तहसीलदार समस्त ..... ।
- 16- सहायक संचालक जनसंपर्क झाबुआ ।
- 17- शासकीय अभिभाषक झाबुआ ।

*Shade*  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला झाबुआ